हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

की

ऑडिट रिपोर्ट

अवधि

वर्ष 2007–08

Scanned with CamScanner

उपाध्यक्ष/सचिव विकास प्राधिकरण (हरिद्वार)। एल०ए०-08 05/09/09

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिट उत्तराखण्ड (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग) देहरादून

368

सम्परीक्षा आख्या भाग–प्रथम

लेखे का नाम :– हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

सम्परीक्षा अवधि :– वर्ष 2007–08

प्रशासन :– आलोच्य अवधि में प्राधिकरण का प्रशासन निम्नवत् रहा :–

उपाध्यक्ष :

1. श्री कुँवर राजकुमार – 01.04.07 से 19.09.07 तक।
2. श्री आनन्द वर्धन – 19.09.07 से 31.03.08 तक।

सचिव :

1. श्री सुशील कुमार – 01.04.07 से 17.04.07 तक।
2. श्री रणबीर सिंह चौहान – 17.04.07 से 31.03.08 तक।

मुख्य वित्त अधिकारी :

1. श्री पी०के० गोयल – 01.04.07 से 31.03.08 तक।

सम्परीक्षा का स्वरूप :– उप लेखा परीक्षा।

निस्तारित आपत्तियों की सूची :– पत्रांक सं०–141/नि०को०वि०से०/2008–09 दिनांक 5 जून 2008 उप निदेशक महोदय द्वारा निस्तारित आपत्तियों का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	अनुच्छेद	पद	योग
2001–02	1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7पूर्वनिस्तारित)(8)(9), 10(i)(ii)(iii)(iv), 2(1)(2)(3)(4), 3 टि०(3), 4टि०(1)(2), 5, 6, 7	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	33
2002–03	1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 3टि० (1)(2)(3)(4)(5) 4टि० (1)(2)(3), 6, 8	1, 5, 7, 9, 10, 14	25
2003–04	1(1)(2)(3)(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14) 3टि० (1)(2) 4टि०, 5टि०(1)(2)(3), 7(1)(2)(3), 8	–	24
2004–05	1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(14)(15), 3टि०(1)(2)(3)(4), 4टि०(2)(3), 5टि०(1)(2), 6टि०(1)(2), 7	1, 2	25

OS

8/9/09 VC

Secretary 8.9.09

Scanned with CamScanner

2005–06	1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8), 3टि0(1)(2)(3)(4)(5), 5टि0 (1)(2)(3)(5), 7	1, 2, 3, 4, 5
		योग

सहायक निदेशक द्वारा विचार विमर्श के दौरान निस्तारित आपत्तियों

2006–07	2(क)(ख)(ग), 7, 8, 9(क)(ख)(ग), 12, 13, 14, 15, 18(क)(ख), 20, 3टि0(1)(3), 4टि0, 5टि0(4), 7	1, 2, 3

अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण :–

वर्ष	अनुच्छेद	पद
2006–07	1(क)(ख)(ग), 2, 3(क)(ख), 4, 5, 6, 10, 11(क)(ख), 16(क)(ख), 17, 19, 21, 5टि0(12)(2)	5

टिप्पणी :– उपर्युक्त सम्परीक्षा आपत्तियों के अनुपालन हेतु समुचित
परिणाम से आगामी अवसर पर अवगत कराया जाय ताकि आपत्तियों का
हो सके।

स्थांन :– देहरादून
दिनांक :– 25.02.09

सहायक
स्थानीय निधि लेखा
देहरादू

Scanned with CamScanner

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिट उत्तराखण्ड (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग) देहरादून

सम्परीक्षा आख्या भाग–दो(अ)

लेखे का नाम :– हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

सम्परीक्षा अवधि :– वर्ष 2007–08

सम्परीक्षा में पाई गई गम्भीर आपत्तियों के विवरण :–

1– अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान/परिहार्य व्यय :–

(क) प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण के टेलीफोन बिलों का कुल रू0 9,840/– का अमान्य भुगतान किया गया था। सम्परीक्षा आख्या भाग–दो(ब) 1(2)

(ख) श्यामलोक आवासीय योजना के आवंटी को आवंटन निरस्तीकरण पश्चात् नियमानुसार कटौती न किये जाने से प्राधिकरण द्वारा आवेदक को रू0 7,605/– की अधिक वापसी की गई। सम्परीक्षा आख्या भाग–दो(ब) 1(3)

(ग) इन्द्रलोक आवासीय योजना के आवंटी को गलत सूचना के आधार पर आवंटन निरस्त हो जाने पर नियमानुसार जमा धनराशि जब्त न कर आवंटी को वापस किये जाने से रू0 24,400/– का अमान्य भुगतान हो गया। सम्परीक्षा आख्या भाग–दो(ब) 1(5)

2– आय की क्षति एवं राजस्व की क्षति से सम्बन्धित अनियमितताऐं :–

(क) मल्टीप्लेक्स मानचित्र स्वीकृति के समय अवशेष धनराशि रू0 1,50,00,000/– पर 18% ब्याज सहित तीन किश्तों में जमा कराने की स्वीकृति दी गई थी। किन्तु शेष धनराशि जमा कराते समय ब्याज की त्रुटिपूर्ण गणना से रू0 4,109/– की आर्थिक क्षति हुई। सम्परीक्षा आख्या भाग–दो(ब) 1(9)

(ख) कतिपय प्रकरणों में मानचित्र स्वीकृति के समय विकास शुल्क की धनराशि आरोपित/प्राप्त नहीं की गई जिस कारण प्राधिकरण को कुल रू0 47,750/– की आर्थिक क्षति हुई। सम्परीक्षा आख्या भाग–दो(ब) 1(14)

Scanned with CamScanner

3– अन्य विविध प्रकृति की गम्भीर अनियमितताऐं :–

(क) अध्यक्ष मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण के टेलीफोन बिलों कुल रू0 भुगतान हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। चूँकि उक्त भुगतान प्राधि नहीं थे। अतः भुगतान किये जाने का कोई औचित्य नहीं था।

सम्परीक्षा आख्या

(ख) प्राधिकरण के बैंक खाता विजया बैंक खाता सं0 451 से 5,30,000/– अन्तर्गत आहरित कर खाता सं0–00008 में जमा किया गया था। परन्तु खाते 31.3.08 के अवशेष रू0 5,68,242/– ब्याज सहित को प्राधिकरण निधि सम्मिलित नहीं किया गया था। जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है।

सम्परीक्षा आख्या

स्थान :– देहरादून
दिनांक :– 25.02.09

सहायक नि
स्थानीय निधि लेखा
देहरादू

Scanned with CamScanner

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिट उत्तराखण्ड (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग) देहरादून

सम्परीक्षा आख्या भाग–दो(ब)

लेखे का नाम :– हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

सम्परीक्षा अवधि :– वर्ष 2007–08

सम्परीक्षा दिनांक :– वर्तमान सम्परीक्षा दिनांक 21.11.08 को प्रारम्भ एवं दिनांक 29.01.09 को समापन किया गया।

1. लेखे में पाई गई उल्लेखनीय अनियमितताऐं :–

(1) सब डिविजन शुल्क कम लेने से आर्थिक क्षति, धनराशि रू0 6,769/– :–

फाईल सं0 मान0/हरि0/33/07–08 श्रीमती पद्मावती धर्मपत्नी श्री मुलखराज कपूर एवं रमेश चन्द कपूर भूपतवाला के भवन मानचित्र से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि भवन 20 फीट चौड़े रास्ते से लगा हुआ था (रजिस्ट्री के अनुसार)। चूंकि कार्यालय उपनिबन्धक हरिद्वार की द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची (दि0 1.11.05 से 31.10.07 तक) के प्रस्तर–1 अनुसार पुराने मोहल्ले में मात्र 20 फीट चौड़ी सड़क को ही मुख्य सड़क माना जायेगा तथा नगरीय क्षेत्र की दरें (रूपया प्रति वर्ग मी0) में भोपतवाला क्षेत्र में सड़क पर 50 मी0 से अधिक दूरी तक आवासीय दर रू0 5,000/– तथा सड़क से दूरी 50 मी0 से अधिक होने पर 2600/– प्रति वर्ग मी0 निर्धारित थी। मानचित्र स्वीकृति के समय सबडिविजन शुल्क रू0 2,600/– की दर से लिया गया था। जबकि नियमानुसार शुल्क रू0 5,000/– प्रति वर्ग मी0 की दर से लिया जाना चाहिये था। कम शुल्क निर्धारित करने से निम्न विवरणानुसार आर्थिक क्षति हुई :–

यह प्रकरण आलोच्य वर्ष के सम्परीक्षा माहों में उद्घटित था। यदि अद्यावधिक प्रकरणों की जांच की जाय तो प्राधिकरण को भारी राजस्व की क्षति से बचाया जा सकता है। इस विषयक विस्तृत जांच कराकर कार्यवाही की जाय।

रू0 2,600 प्रति वर्ग मी0 निर्धारित करने पर	रू0 5,000 प्रति वर्ग मी0 निर्धारित करने पर	अन्तर की राशि
282.05 m2 x 2600 का 1% = 7,333	282.05 m2 x 5,000 का 1% = 14,102.00	14,102 - 7,333 = 6,769/-

(2) अमान्य भुगतान, धनराशि रू0 9,840/– :–

चैक संख्या 203937 दि0 12.7.07 धनराशि रू0 9,840/– दो कार्यालय के टेलीफोन नं0 2655447 एवं 2655448 अवधि अप्रैल–मई 07 का भुगतान क्रमशः 6,491 + 3,129 = 9,620 रू0 किया गया था। बिलों की में आया कि उपरोक्त दोनों टेलीफोन अध्यक्ष मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण तथा उक्त भुगतान हरिद्वार विकास प्राधिकरण पर भारित नहीं थे।

(ii) जांच से यह भी प्रकाश में आया कि उक्त बिलों की देय तिथि किये जाने के कारण क्रमशः 150 एवं 70 कुल रू0 220/– विलम्ब भुगतान किया गया था। विलम्ब से भुगतान के विषय में कार्यवाही अपेक्षित

(3) अधिक भुगतान, धनराशि रू0 7,605/– :–

श्यामलीक आवासीय योजना के आवेदन श्रीमती नीरजा अरोड़ा को में एक एम–16 आवास पत्रांक 10.10.2000 द्वारा आवंटित था। जिस हेतु रू0 30,420/– आवंटन राशि रू0 30,420/– तथा एक किश्त रू0 17,907 रू0 2,202/– कुल रू0 80,949/– जमा थी।

24.6.06 को आवंटन निरस्त किया गया तथा जमा राशि रू0 80,949 कटौती उपरान्त रू0 60,712 दिनांक 3.8.07 को वापिस किया गया नियमावली के नियम 20–3–3 के अनुसार पंजीकरण राशि का 50% रू0 शेष जमा राशि का 25% रू0 12,632/– कटौती कर रू0 53,107/– थी।

इस प्रकार रू0 60,712–53,107 = 7605/– का अधिक भुगतान राशि का वसूल कर प्राधिकरण निधि में जमा कराया जाय।

(4) अधिक भुगतान, धनराशि रू0 314/– :–

दिनांक 25.7.07 में दैनिक हाक समाचार पत्र को रू0 998/– का द्वारा सूचना प्रकाशित कराने हेतु किया गया था।

सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि दैनिक हाक को कार्यालय पत्रांक सं0 605/प्रशा0–2(ग)–4/07 दिनांक 26 मई 2007 द्वारा सम्बन्धी विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु इस शर्त के साथ दी गई थी कि 6cm. में प्रकाशित करें।

किन्तु समाचार पत्र द्वारा दिनांक 27.5.07 के अंक में 6cm. x 10 विज्ञापन प्रकाशित कर 70 x 14.25 = रू0 998/– का भुगतान प्राप्त जबकि आदेशानुसार समाचार पत्र को 6cm. x 8 cm. = 48 x 14.25 = 684 किया जाना चाहिये था। समाचार पत्र को रू0 314/– का अधिक भुगतान उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अधिक भुगतान की वसूली अपेक्षित है।

Scanned with CamScanner

(5) अमान्य भुगतान, धनराशि रू0 24,400/-

चैक सं0-203927 दिनांक 6.7.07 रू0 24,400/- द्वारा श्रीमती सरोजबाला टण्डन पत्नी दीपक कुमार टण्डन E-22A शिवलोक कालोनी हरिद्वार को इन्द्रलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत 90 वर्ग मी0 भूखण्ड की पंजीकरण राशि की वापसी की गई थी।

पत्रावली की जांच में पाया गया कि श्रीमती सरोजबाला टण्डन द्वारा आवेदन फार्म सं0-2675 द्वारा इन्द्रलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत 90 वर्ग मी0 भूखण्ड हेतु आवदेन किया गया था। जिसकी पंजीकरण राशि रू0 24,400/- दिनांक 3.6.07 को जमा कराई गई थी। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र के बिन्दु-4 में आवेदक द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 आवास विकास परिषद अथवा स्थानीय निकाय/समिति द्वारा विकसित आवासीय कालोनी में कोई आवास अथवा भूखण्ड आवदेक अथवा उसके परिवार के नाम न होने का उल्लेख किया गया था तथा साथ ही समस्त शर्तों एवं नियमों को पढ़ने तथा समझने तथा स्वीकार करने का उल्लेख किया गया था। भूखण्ड के आवंटन हेतु पंजीकरण के लिये निर्धारित पात्रता की शर्तों में स्पष्ट उल्लेख था कि नियम संख्या 4.30 के अनुसार आवदेक या उसके परिवार के पास हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों में कोई भूखण्ड अथवा भवन नहीं होना चाहिये। जबकि आवेदक के पति के पास प्राधिकरण की शिवलोक आवासीय योजना भाग-2 के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग की भवन सं0-22 पूर्व में आवंटित था। आवंटन नियमावली के प्रस्तर-11 के अनुसार आवेदक द्वारा दिया गया विवरण असत्य पाये जाने की स्थिति में पंजीकरण निरस्त करते हुये जमा धनराशि को जब्त किये जाने का प्रावधान था। ऐसी स्थिति में पंजीकरण धनराशि वापस किये जाने का कोई औचित्य नहीं था। इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये रू0 24,400/- की प्रतिपूर्ति कराई जाय।

(6) नियुक्ति में पाई गई अनियमितताऐं :-

(i) श्री सोमपाल सेवानिवृत लेखपाल को रू0 3,000/- प्रतिमाह नियत वेतन पर नियुक्त किया गया था। पत्रावली में दिनांक 01.04.07 को एक वर्ष की अवधि के लिये अनुबन्ध पत्र स्टाम्प पेपर पर न होकर सादे कागज पर कराया गया था जिससे एक और राजकीय राजस्व की क्षति हुई थी। वहीं दूसरी ओर उक्त अनुबन्ध की वैधता अपुष्ट थी।

(ii) इसी प्रकार श्री रामचन्द्र सिंह नेगी, सेवानिवृत प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट प्रतिमाह रू0 5,000/- नियत वेतन पर अनुबन्ध दि0 21.7.07 को किया गया था। दिनांक 21.7.07 से पूर्व रू0 3,500/- नियत वेतन भुगतान किया गया था। लेकिन पूर्व अवधि का अनुबन्ध नहीं कराया गया था।

(iii) इसके अतिरिक्त श्री गोपाल कृष्ण शर्मा को प्राधिकरण अधिवक्ता के रूप में रू0 6,000/- प्रतिमाह तथा श्री स्वामी शरण कुलश्रेष्ठ को माह अप्रैल से जुलाई 07 तक रू0 6,000/- प्रतिमाह नियत वेतन का भुगतान किया गया था। उक्त चारों के पद सृजन की स्थिति अस्पष्ट रही।

(7) दण्ड की धनराशि प्राप्त न होना :- प्राधिकरण द्वारा विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी ऋषिकेष को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 4.10.07 द्वारा वाद सं0 613/06, 614/06,

Scanned with CamScanner

611/06, 616/06 तथा 617/06 में क्रमशः रू0 3,000/–, रू0 5,000/
रू0 3,000, तथा रू0 4,000/– कुल रू0 19,000/– प्राधिकरण के प
दण्ड की राशि की मांग की गई थी। उक्त धनराशि सम्परीक्षा तिथि तक
प्रकार सी0जे0एम0 हरिद्वार द्वारा निर्णित विभिन्न वादों में कुल रू0 83,0
धनराशि प्राप्त होनी शेष थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त गत सम्परीक्षा आख्या के प्रस्तर 1(8) के
राशि रू0 2,73,500/– भी प्राप्त होनी शेष थी।

इन धनराशियों को शीघ्र प्राप्त कर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय

(8) माप पुस्तिका में पाई गई सामान्य अनियमितताऐं :–

निर्माण से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि माप
पुस्तिका सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निर्गत किये जाने की तिथि तथा
उपलब्ध पृष्ठों आदि के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र अंकित
पुस्तिकाओं में भुगतान उपरान्त न तो व्यय प्रमाणक में संख्या/चैक सं0/दि
गई थी और न ही लाल स्याही से क्रास किया गया था। उदाहरणस्वरूप इ
योजना के नाला निर्माण से सम्बन्धित प्रथम चालू देयक जिसकी मापें माप
एल0 के पृष्ठ सं0 72 से 78 पर अंकित थी का भुगतान चैक सं0 2038
27,53,789.49 मै0 बालाजी कन्स्ट्रक्सन गैलरी को किया गया था। परन्तु म
तो चैक संख्या न तो भुगतान तिथि और न ही लाल स्याही से क्रास किया

(9) आर्थिक क्षति, धनराशि रू0 4,109/–

फाईल सं0/भव0/हरि0/06–07 श्री ओम प्रकाश दीक्षित डायरेक्ट
प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 मल्टीप्लैक्स बहादराबाद पर कुल रू0 1,97,95,764/–
गया। जिसे रसीद सं0 44/455 दिनांक 11.5.07 द्वारा रू0 47,95,764 ज
शेष रू0 1,50,00,000/– हेतु फर्म के आवदेन पर बैंक गारण्टी लेते हुये उ
दि0 18.5.07 18% ब्याज सहित तीन किश्तों में जमा की स्वीकृति प्रदान की
द्वारा उक्त धनराशि पर रू0 4,47,945/– ब्याज आरोपित किया गया। ग
निम्नलिखित त्रुटि पाई गई जिस कारण प्राधिकरण को रू0 4,109/– क
हुई। प्रतिपूर्ति अपेक्षित है :–

अवशेष राशि	जमा राशि	देय तिथि	जमा तिथि	पत्रावली के अनुस विलम्ब अवधि
1,50,00,000	50,00,000	11.5.07	26.6.07	46
1,00,00,000	50,00,000	–	27.7.07	30
50,00,000	50,00,000	–	16.8.07	20

Scanned with CamScanner

सम्परीक्षा के अनुसार :–

विलम्ब अवधि	ब्याज	अन्तर
.	2,83,561	–
46	1,27,397	4,109
31	41,096	–
20		

(10) वर विश्लेषण उपलब्ध न होना :–

चैक सं0 203965 दिनांक 26.7.07 द्वारा मै0 एक्यूरेट एण्ड एसो0 हरिद्वार को कार्यालय भवन/उपाध्यक्ष कैम्प कार्यालय में इन्टिरियर डेकोरेटर कार्य हेतु प्रथम चालू देयक का रू0 7,13,465/– का भुगतान किया गया था।

देयक पत्रावली तथा माप पुस्तिका की जांच में प्रकाश में आया कि अन्य के अतिरिक्त मद संख्या 4/6 Supply & Fixing of Alumunia Section with 5mm. glass हेतु 25 वर्ग मी0 का रू0 2,500/– प्रति वर्ग मी0 की दर से रू0 62,500/– का भुगतान किया गया था। अतः मद की दरें सम्बन्धी विश्लेषण अथवा शेड्यूल रेट सम्परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। दर विश्लेषण अथवा शेड्यूल जांच हेतु उपलब्ध कराया जाय।

(11) मानचित्र स्वीकृति में पाई गई अनियमितताऐं :–

फाईल सं0 नो0ज्वा0/206/2006–07 श्रीमती जयन्ती रावत पत्नी अनूप रावत निकट विद्युत पोल सं0 14/212 शारदानगर ज्वालापुर की जांच करने पर पाया गया कि पुस्तक सं0/रसीद सं0 465/43 दिनांक 28.7.07 द्वारा शमन हेतु रू0 63,452 (शमन रू0 60,660 विकास रू0 2,559/– पर्यवेक्षण शुल्क रू0 233/–) चैक सं0 076633(सी0बी0आई0) जमा कराये गये थे।

पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रांक मीमो/नो0/ज्वा0/206/2006–07 दिनांक 20 जुलाई 07 द्वारा अशमनीय भाग का शपथ पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित किया गया था तथा मानचित्र स्वीकृति के आदेश में दि0 30.7.07 द्वारा शमन मानचित्र में प्रदर्शित अशमनीय निर्माण को स्वयं ध्वस्त कर कार्यालय में सूचित करना था।

पत्रावली में शपथ पत्र का अभाव था जबकि शमन धनराशि प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त रसीद द्वारा जमा करा लिया गया था। मानचित्र स्वीकृति की तिथि दि0 30.7.07 से न तो शपथ पत्र प्राप्त था और न ही अशमनीय निर्माण के ध्वस्तीकरण की कोई सूचना थी।

(i) प्राधिकरण कार्यालय से मीमो पत्रांक द्वारा डाक डिस्पेच किये जाने का कोई औचित्य नहीं था।

(ii) फाईल सं0 मान0/ऋषि/21/2007–08 श्री विजय सिंह पुत्र स्व0 श्री धन सिंह ग्रामं तपोवन पट्टी घमानन्दस्यू जिला टिहरी गढ़वाल की जांच में पाया गया कि रसीद सं0 452/22.6.07 द्वारा रू0 92,077 (विकास शुल्क रू0 71,216, पर्य0 शुल्क रू0 1,780,

Scanned with CamScanner

स0डि0शु0 15,296 और मानचित्र रि0ओ0शु0 रू0 3,785/–) व्यावसायिक भवन स्वीकृति हेतु जमा कराया गया था।

(iii) पत्रावली की जांच में पाया निर्माण स्थल डी0जी0बी0आर0(सीमा मार्ग के सम्मुख होने के कारण प्राधिकरण द्वारा डी0जी0बी0आर0 के अनापत्ति मांग की गई थी।

प्राधिकरण द्वारा डी0जी0बी0आर0 निदेशालय 56 APO 2000/Gen/66/12/E2 दिनांक 15 दिस0 03 जो श्रीमती सी0आर0 शर्मा पत्नी जे0पी0 शर्मा B-3/1B सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली को प्रेषित REGARDING ROAD SIDE LAND CONTROL ACT. से सम्बन्धित प्रस्तर–3 के अनुसार you are requested to approach the concerned Authority for obtaining the NOC accordingly. इसी पत्र के आधार पत्रावली सं0 21/2007–08 दि0 25.6.07 को प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत गया था। डी0जी0बी0आर0 द्वारा श्री विजय सिंह को मानचित्र के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र (N.O.C.) नहीं दिया गया था और न ही श्रीमती सी0आर0 डी0जी0बी0आर0 द्वारा लिखे पत्र के आधार पर मानचित्र स्वीकृत किये औचित्य था। इसी विषय में वस्तु स्थिति से आगामी अवसर पर अवगत कराया

(12) उपार्जित अवकाश की स्थिति अस्पष्ट :–

श्री केशव चन्द्र उपाध्याय, लिपिक की सेवा पुस्तिका की जांच करने कि उनके अवकाश लेखे के अनुसार दि0 01.01.98 से 31.1.98 तक 30 दिन स्वीकृत था। दिनांक 20.1.98 से 31.1.98 तक 12 दिन का उपार्जित अवकाश किया गया था जो स्वीकृत नहीं किया गया।

अस्वीकृति की स्थिति में उक्त अवधि को अवैतनिक अवकाश मानते वेतनवृद्धि की तिथि 12 दिन स्थगित की जानी चाहिये थी तथा उक्त अवधि व्यवधान मानते हुये प्रोन्नत जो दि0 28.7.01 को दिया गया था। उक्त अवधि भुगतान की स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा अपरोक्तानुसार कार्यवाही अपेक्षित

नियुक्ति तिथि		वेतन
8 वर्ष के सेवा पर एक वेतन वृद्धि	28.7.87	–
14 वर्ष की सेवा पर अगला वेतनमान	28.7.95	–
19 वर्ष की सेवा पर एक वेतन वृद्धि	28.7.01	3,965
	28.7.06	4,475

(13) हरिलोक आवासीय योजना के अनुरक्षण पर आय से अधिक व्यय :–

आय–व्यय की समीक्षा में पाया गया कि प्राधिकरण की हरिलोक आवासीय अनुरक्षण पर आलोच्य वर्ष में कुल रू0 2,56,781 व्यय किया गया था। जब अनुरक्षण शुल्क के रूप में प्राधिकरण को मात्र रू0 1,96,075 की प्राप्ति हुई थी

आर्थिक हितों के प्रतिकूल थी। उल्लेखनीय है कि हरिलोक आवासीय योजना के अनुरक्षण शुल्क की मांग पंजिका में शा0सं0 1200/9–ओ–1–2000 दि0 16.3.2000 के अनुसार अपेक्षित मांग अंकित नहीं की जा रही थी। अनुरक्षण शुल्क की मांग आरोपित करते हुये तदनुसार वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

(14) विकास शुल्क न लिये जाने से आर्थिक क्षति, धनराशि रू0 47,750/–

आलोच्य माहों में स्वीकृत मानचित्र पत्रावलियों की जांच में पाया गया कतिपय प्रकरणों में विकास शुल्क की धनराशि आरोपित/प्राप्त नहीं की गई थी। जिस कारण प्राधिकरण को कुल रू0 47,750/– की आर्थिक क्षति हुई। विकास शुल्क न लिये जाने का औचित्य स्पष्ट कराया जाय। अन्यथा उत्तरादायित्व निर्धारित करते हुये प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

क्रमांक	पत्रावली सं0	नाम	पता	घनत्व	क्षेत्रफल	दर	धनराशि
01	हरि0/136/07–08	श्री संजीव कुमार	13 श्याम विहार हरिद्वार	आवासीय उच्च घनत्व	231.58	35	8,105
02	हरि0/57/07–08	श्री विक्रम कपूर	इन्दु एन्क्लेव हरिद्वार	तदैव	183.76	35	6,425
03	हरि0/91/07–08	श्री दयाराम	32 गुरूबक्श विहार हरिद्वार	तदैव	228.40	35	7,994
04	हरि0/59/07–08	श्री अनिल कुमार	67 हरिलोक वेस्ट ज्वालापुर	आवासीय निम्न घनत्व	151.08	75	11,331
05	हरि0/104/07–08	श्री कपिल गर्ग	21 इन्दु एन्क्लेव हरिद्वार	आवासीय उच्च घनत्व	190.46	35	6,666
06	हरि0/105/07–08	श्रीमती अनिता गर्ग	20 इन्दु एन्क्लेव हरिद्वार	आवासीय उच्च घनत्व	206.54	–	7,229
						योग	47,750

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि अन्य कोई प्रकरण हो तो उनकी विभागीय जांच कराकर प्रतिपूर्ति करायी जाय।

(15) सब डिविजन शुल्क न लेने से आर्थिक क्षति, रू0 2,509/–

फाईल सं0 मान0/हरि0/125/07–08 श्री गोपाल दत्ता पुत्र श्री आनन्द प्रसाद दत्ता, शारदा नगर ज्वालापुर द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु रसीद सं0 07/465 दि0 26.7.07 द्वारा धनराशि रू0 5,744/– जमा कराया गया था। सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि जांच आख्या में मानचित्रकार द्वारा उपविधि/महायोजना के अनुसार 9 मी0 सड़क दर्शायी गई है। जबकि मानचित्र में 4.16 मी0 सड़क दर्शायी गई है। जबकि उसी स्थल शारदा नगर कालोनी में पूर्व में स्वीकृत मानचित्र सं0 मान0/हरि0/417/99–2000 में मार्ग की चौड़ाई 4.57 मी0 अंकित है। ऐसी स्थिति में मानचित्र किस प्रकार स्वीकृत किया गया स्पष्ट नहीं हो सका।

Scanned with CamScanner

(16) रू0 5,68,242/– की राशि लेखाभिलेखों में अवशेष न दर्शाया जाना :– प्राधिकरण के बैंक खाता विजया बैंक खाता सं0 7142010110004S1 स्थिति में खाता सं0 451 अंकित किया गया है) की बैंक स्टेटमेन्ट की जांच कि दिनांक 18.9.06 को उक्त खाते में रू0 5,30,000/– आटो स्वीप के अ था। विजया बैंक आटो स्वीप खाता सं0 714203121000008 खाते को अन्तरि पर तदनुसार दिनांक 29.6.06 को रू0 1,000/– दिनांक 3.10.06 को रू0 1 दिनांक 3.10.06 को कुल रू0 2,002/– खाता सं0 00008 से खाता सं0 आटो स्वीप कर दिया गया था तथा शेष रू0 5,30,000 – 2002 = 5,27,998 00008 में शेष था जिस पर मार्च 2008 को बैंक द्वारा रू0 40,244/– ब्या इस प्रकार दि0 31.3.08 को खाता सं0 00008 में रू0 5,68,242/– अव प्राधिकरण रोकड़ बही लेजर में उक्त अन्तरणों एवं ब्याज की कोई प्रविष्टि न और न ही प्राधिकरण के आय–व्यय एवं तुलनपत्र (बैलेंस सीट) में खाता अवशेष को सम्मिलित किया गया था जबकि खाता सं0 451 का अवशेष उक्त घटाकर दर्शाया गया था। अर्थात् प्राधिकरण लेखाभिलेखों से रू0 5,27,998 बाहर कर दिया गया था। यह स्थिति गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक धनराशि प्राधिकरण लेखाभिलेखों में प्राधिकरण निधि से पूर्णतः बाहर कर दी भविष्य में उक्त धनराशि के दुरूपयोग की पूर्ण सम्भावना है। उत्तरदायित्व निर्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(17) प्राप्त धनराशि को प्राधिकरण की आय में प्रविष्टि न किया जाना :– रसीद सं0 18/463 दिनांक 13.7.07 एवं रसीद सं0 19/463 दि0 इन्द्रलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत आवंटन शुल्क की धनराशि क्रमशः रू एवं रू0 65,610/– कुल रू0 1,14,210.00 प्राप्त थी। परन्तु उक्त प्राप्ति रोकड़ बही में नहीं की गई थी एवं न ही प्राधिकरण के आय–व्यय, बैलेंस सम्मिलित की गई थी। यह स्थिति गम्भीर अनियमितता की द्योतक थी। उक्त रोकड़ बही में प्रविष्टि किया जाना अपेक्षित है।

2. लेखे की परफोरमेन्स के सम्बन्ध में आवश्यक बिन्दु :– कोई नहीं।

3. वित्तीय स्थिति :– सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जहाँ तक पु जा सका, आलोच्य वर्ष में लेखे की वित्तीय स्थिति निम्नवत् थी :–

01.4.07 को प्रा0 शेष	1,33,81,99,505.30
वर्ष की आय	22,79,66,462.00
योग	1,56,61,65,967.30
वर्ष का व्यय	1,32,30,98,274.26
31.3.08 को इतिशेष	24,30,67,693.04

Scanned with CamScanner

362

9

जोड़िये	
बिना भुने चैक	41,49,917.48
गत वर्षों में बैंक द्वारा अधिक जमा धनराशि	49,312.00
गत/विगत वर्षों में बैंक द्वारा जमा का अन्तर	7,936.14
बैंक द्वारा जमा परन्तु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं	1,14,210.00
	24,73,89,068.66
घटाईये	
चैक जमा परन्तु बैंक द्वारा संग्रहित नहीं	91,544.00
बैंक द्वारा डेबिट की गयी धनराशि	1,824.21
विगत वर्षों में बैंक द्वारा डेबिट धनराशि	8,590.00
चैक की धनराशि में अन्तर	168.00
31.3.08 का बैंक शेष	24,72,86,942.45

बैंक शेष का विवरण

1.	सेन्ट्रल बैंक खाता सं0 8000	5,93,94,270.08
2.	ओरियन्टल बैंक खाता सं0 386	1,61,52,744.69
3.	ओरियन्टल बैंक खाता सं0 08	26,56,261.85
4.	भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0 11137	7,50,169.82
5.	पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0 5738	13,71,140.83
6.	पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0 5740	3,66,890.50
7.	पी0एल0ए0 ट्रेजरी	56.72
8.	सिंडिकेट बैंक 30734	0.67
9.	बैंक आफ महाराष्ट्र 1001	5,09,30,697.00
10.	इलाहाबाद बैंक 12427	1,33,07,923.14
11.	कारपोरेशन बैंक 2228	51,79,290.00
12.	यूनियन बैंक 51578	2,39,80,619.14
13.	विजया बैंक 491	5,23,33,823.00
14.	विजया बैंक 451	98,74,739.01
15.	विजया बैंक 489	6,243.00
16.	एक्सिस बैंक 25513	27,19,475.00
17.	यूको बैंक 10500	38,213.00
18.	सावधि जमा बैंक आफ महाराष्ट्र	82,24,385.00
		24,72,86,942.45

Scanned with CamScanner

टिप्पणी :– सिंडिकेट बैंक खाता सं0 30734 की पास बुक सम्परीक्षा में अप्रस्तु
गत एवं विगत वर्षों के बैंक समाधान विवरण के अन्तर के सापेक्ष
हुये समायोजन प्रविष्टियां अपेक्षित हैं।

पी0एल0ए0 ट्रेजरी हरिद्वार की पासबुक में दिनांक 31.3.08 को रू0
अवशेष था। जबकि प्राधिकरण की बैलेंस सीट में मात्र 56.72 दर्शाया गया
बताया गया कि उक्त धनराशि कुम्भ मेला प्रशासन की है तथा मेला प्रशासन
के पी0एल0ए0 को प्रयोग में लाया जा रहा है। स्थिति स्पष्ट करायी जाय।

प्राधिकरण की रोकड़ बही तथा लेजर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी
नहीं थी। रोकड़ बही लिखने वाले लेखाकार, मुख्य वित्त अधिकारी तथा
कराये जायें।

रोकड़ बही के अवशेष किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं
रोकड़ बही अवशेष का सत्यापन सक्षम अधिकारी स्तर पर कराया जाना अपे

4. विनियोजन :– प्राधिकरण के आर्थिक चिट्ठे दिनांक 31.3.08 के अनुसार
आफ महाराष्ट्र हरिद्वार में सावधि जमा के रूप में रू0 82,24,385/– विनियो

टिप्पणी :– विनियोजन पंजिका अपूर्ण थी। वर्ष 2006 के उपरान्त कोई प्रविष्टि
थी।

उपर्युक्त विनियोजन पत्र सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिस कारण विनियो
परिपक्वता तिथि, ब्याज दर आदि अज्ञात रहे।

गत सम्परीक्षा आख्या में उल्लिखित विनियोजन को भुना लिया गया था

5. राजकीय अनुदान :– आलोच्य अवधि में प्राधिकरण के कोई राजकीय अनु
था। गत एवं विगत वर्षों के अवशेष अनुदानों की स्थिति संलग्न प्रपत्र "66" में

टिप्पणी :– अर्धकुम्भ मेला अनुदान पंजी साधारण पंजिका में तैयार की गयी थी
सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी।

आई0डी0एस0एम0डी0 के अनुदान राशि लम्बी अवधि से अवशेष चले
इसके यथा शीघ्र उपभोग अथवा शासन को वापसी की कार्यवाही अपेक्षित है।

आई0डी0एस0एम0डी0 के अनुदानों सम्बन्धी अनुदान पंजिका सम्परीक्षा
रही। आगामी अवसर पर प्रस्तुत की जाय।

6. राजकीय ऋण/अन्य ऋण:– सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार
में प्राधिकरण द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया था तथा न ही कोई ऋण प्रति
था।

Scanned with CamScanner

7. **सम्परीक्षा शुल्क** :– प्राधिकरण की आलोच्य वर्ष की सकल आय रू0 22,79,66,462/– पर रू0 6,84,410/– सम्परीक्षा शुल्क आरोपित किया गया। इसे यथाशीघ्र निर्धारित शीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जाये।

विगत वर्षों का रू0 2,69,517/– तथा गत वर्ष का रू0 36,12,275/– सम्परीक्षा शुल्क जमा हेतु अवशेष था। इसे भी जमा कराया जाये।

टिप्पणी :– गत वर्ष आरोपित सम्परीक्षा शुल्क रू0 42,95,480/– में से रू0 6,88,205/– ट्रेजरी चालान सं0–02 दिनांक 22 मई 2008 द्वारा राजकोष में जमा करा दिया गया था।

8. **निष्कर्ष** :– उपरोक्त अनुच्छेदों में वर्णित अभ्युक्तियों के अतिरिक्त लेखे की स्थिति सन्तोषजनक थी।

सम्परीक्षा आख्या भाग–तीन में कुल अवशेष हैं।

सहायक निदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

स्थान :– देहरादून
दिनांक :– 25.02.09

1. श्री महीप कुमार सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक
2. श्री अनिल कुमार मल्ल, वरिष्ठ लेखा परीक्षक

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग
देहरादून (उत्तराखण्ड)

Scanned with CamScanner

वर्ष 2007-08 के अन्तर्गत [illegible] द्वारा अवमुक्त अनुदानों की तालिका

क्रम-संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	आवास विकास अनुभाग 3058 | 1									
1	शा०सं० 57/9-आ०-95-53-आई० डी०एस०एम०टी०/96 दिनांक 31-3-96	संगठित विकास योजना (केन्द्रांश)	53,00,000	31-3-96						
2.	शा०सं० 57(1)/9-आ०-95-53-आई०डी०एस०एम०टी०/96 दिनांक 31-3-96	एकीकृत विकास योजना (राज्यांश)	35,53,000	31-3-96	48,57,722	—	48,57,722	—	48,57,722	
3	शा०सं० 27/9-आ०-1-97-6-आई०डी०एस०एम०टी०/97 दिनांक 29-3-97	संगठित विकास योजना (केन्द्रांश)	17,00,000	9-2-98						
4.	शा०सं० 27(1)/9-आ०-1-97-6-आई०डी०एस०एम०टी०/97 दिनांक 29-3-97	एकीकृत विकास योजना (राज्यांश)	11,33,000	9-2-98						

राजाज्ञा संख्या ———— दिनांक ———— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून तथा सचिव, उत्तरांचल शासन, ———— विभाग को प्रेषित।

सं० ————

दिनांक ————

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तरांचल।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 06 स्था०नि०ले०/361-22-10-2002-5,000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

क्रम…	तिथि जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	मौलिक धनराशि	… की तिथि	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त अनुदान	योग	… की गई धनराशि	अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	सामान्य अनुरक्षण	सौन्दर्यीकरण हेतु	1,10,000	—	1,02,067	—	1,02,067	—	1,02,067	
6.	— तदैव —	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु	अज्ञात	—	55935	—	55,935	—	55,935	
		अर्द्ध कुम्भ मेला अनुदान								
7	विभिन्न आयोजनों द्वारा स्वीकृत राजकीय अनुदानों के प्रति मेलाधिकारी द्वारा प्राप्त अनुदान	अर्द्ध कुम्भ मेला के सम्बन्धित विभिन्न निर्माण कार्य	5,66,51,000	29-11-03 से 31-3-05 तक	32,03,800	—	32,03,800	—	32,03,800	

राजाज्ञा संख्या ——— दिनांक ——— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून तथा सचिव, उत्तरांचल शासन, ——— विभाग को प्रेषित।

सं० ———

दिनांक ———

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तरांचल।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 06 स्था०नि०ले० / 361–22–10–2002–6,000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

…के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु कार्यालय मेलाधिकारी, हरिद्वार से प्राप्त धनराशि के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2007-08 में उपयोग एवं अवशेष का विवरण:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	अवमुक्त राशि रू0 (लाख में)	01 अप्रेल 2007 को प्रा0अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	31 मार्च 2008 को अवशेष	अन्य विवरण
1	केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष तक पहुंच मार्ग	11.20	164556.00	0.00	164556.00	0.00	164556.00	
2	जटवाडा सेतु तक पहुच मार्ग	10.28	75460.00	0.00	75460.00	0.00	75460.00	
3	मेला क्षेत्र में विभिन्न सीनों पर हाईमास्ट लाईट की व्यवस्था	90.34	1159429.00	0.00	1159429.00	0.00	1159429.00	
4	पथ प्रकाश व्यवस्था	95.50	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
5	मात्र सदन आश्रम के निकट सड़क का निर्माण कार्य	5.43	268518.00	0.00	268518.00	0.00	268518.00	
6	तरूण हिमालय टिबड़ी के समीप नाले का पुर्ननिर्माण तक सड़क अनुरक्षण	21.77	1044880.00	0.00	1044880.00	0.00	1044880.00	
7	गीता कुटीर से सप्त[illegible] द्वार तक सड़क एवं नाली निर्माण	6.44	337986.00	0.00	337986.00	0.00	337986.00	

	लगाने का कार्य							
9	रोडी बलवाला में मुख्य	0.20	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
	सड़क के बने फुटपाथ							
	व रेलिंग पर पेन्टिंग का कार्य							
10	जटवाड़ा से आगे 255	3.28	29398.00	0.00	29398.00	0.00	29398.00	
	मी0 लम्बाई में मुख्य							
	गंग नहर के किनारे							
	सौन्दर्यीकरण का कार्य							
11	चण्डीघाट पर शमशान	2.32	99097.00	0.00	99097.00	0.00	99097.00	
	~~घाट पर टीन शेड का~~							
	निर्माण कार्य							
12	सिंहद्वार से जटवाड़ा	0.10	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
	पुल तक नहर के							
	किनारे झाडी सफाई का कार्य							
	योग	247.96	3203800.00	0.00	3203800.00	0.00	3203800.00	

छीड़ा विकास प्राधिकरण ~~नगरपालिका परिषद/जिला पंचायत/नगर पंचायत/इण्टर कालेज~~ छीड़ा के आय और व्यय की तालिका

2007-08 वर्ष की आय

क्र0 सं0	स्थानीय निकाय का नाम	1 अप्रैल 07 को प्रारम्भिक अवशेष	राजकीय अनुदानों और ऋणों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	अनावर्तक राजकीय अनुदान	आवर्तक राजकीय अनुदान	राजकीय आय	वर्ष की सम्पूर्ण आय (क+ख+ग+घ)	प्रारम्भिक अवशेष सहित योग 3+4(ग)	वर्ष में हुआ व्यय	31 मार्च 2008 का अंतिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(च)	5	6	7	8
	छीड़ा विकास प्राधिकरण	1,33,81,99,505	22,79,66,462	—	—	—	22,79,66,462	1,56,61,65,967	1,32,30,67,693	24,30,67,69	
	योग . . .										

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 स्था0 नि0 ले0/362–28–09–2006–5,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

Scanned with CamScanner

क्रमांक	आय का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	
1	2	3	4		5
1	शासन से प्राप्त अनुदान के प्रयोजन :–				
	(क) शिक्षा				
	(ख) चिकित्सा				
	(ग) जन–स्वास्थ्य				
	(घ) सड़क				
	(ङ) अन्य निर्दिष्ट प्रयोजन				
	(च) सामान्य प्रयोजन				
	(छ) नगरपालिका/जिला परिषद्/अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत लगाये गये अर्थ–दण्ड के बदले				
	(ज) नगरपालिका/जिला परिषद्/अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा प्रशासित नौका घाटों से प्राप्त आय के समतुल्य				
	(झ) अन्य प्रयोजन				
	(ञ) जिला परिषदों के सम्बन्ध में स्थानीय उप–शुल्कों के समतुल्य				
	(ट) ____________				
2	शासन से प्राप्त ऋण				
3	खुले बाजार से लिये गये ऋण				
	योग				

वरिष्ठ लेखा परीक्षक

पी०एस०यू० (आर०ई०) 04 स्था० नि० ले० / 363–28–09–2006–5,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

Scanned with CamScanner

...लय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सहस्टेट इश्कन आडिट

उत्तराखण्ड (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग), देहरादून

लेखपरीक्षा आख्या - भाग तीन

...कोष नाम :- हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।

अवधि : वर्ष 2007-08

आपत्तियों का विवरण :-

1. रोकड़बही में कम धनराशि अंकित किया जाना :-

मै० बालाजी कन्स्ट्रक्शन गैलरी को इन्द्रलोक आवासीय योजनान्तर्गत पार्क निर्माण हेतु प्रधान चालू देयक के सापेक्ष दिनांक 21-6-07 को ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स खाता सं० 386 के चैक सं. 203900 धनराशि रू० 8,01,282=92 निर्गत था। परन्तु उक्त को प्रतावली रोकड़बही में रू० 8,01,282=92 के स्थान पर 8,01,114=92 अंकित था। औचित्य स्पष्ट करते हुये संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

2. अनुरक्षण शुल्क की प्रविष्टि मॉंग पंजिका में न किया।

उपसम्परीक्षा माहो में निम्न लि[...] द्वारा हारेलोक आवासीय योजना के आवंटियों [...] शुल्क प्राप्त दर्शाया गया था। उक्त प्रतियों की अनुरक्षण ~~मद~~ शुल्क की मॉंग समाधान पंजी में [...] थी। प्रविष्टियों को अंकित कर सम्परीक्षा में कराया जावे।

	रसीद सं.	दिनांक	धनराशि	नाम
1.	65/457	2-6-07	2264/=	श्री प्रताप सिंह
2.	25/465	27-7-07	7,245/=	श्री राम कु[...]
3.	76/465	30-7-07	9,70/=	श्री रामखु[...]

शपथ पत्र का अभाव तथा स्माण पत्र जारी नही किया जाना :-

पत्रावली सं० नो०/हार०/290/2004-05 की जाँच
करने पर पाया गया कि रसीद सं० 83/462 दिनांक
10.7.07 द्वारा शमन हेतु रू० 22,636/- (शमन
शुल्क रू० 18,111/- विकास शुल्क 4,148/- एवं पर्यवेक्षण
शुल्क रू० 377/-) ~~[illegible]~~ व रामा ट्रेडर्स,
...धारी चौक द्वारा जमा कराया गया था।
पत्रावली की जाँच करने पर पाया
गया कि उपाध्यक्ष द्वारा दि० 05.6.07 को उपरोक्त
धनराशि जमा कराते हुये असमनीय भाग को तोड़े
जाने के सम्बन्ध में लिखा गया था। जिसके अनुक्रम
में कुल 22,636/- तो रामा ट्रेडर्स द्वारा जमा करा
दिया गया किन्तु शपथ पत्र सम्परीक्षा तिथि तक
जमा नही कराया गया। और न ही प्राधिकरण द्वारा
स्माण पत्र जारी किया गया।

4. पत्रावली अप्रस्तुत :- चैक सं. 203964/25
धनराशि रू० 24,300/- द्वारा श्री बहादुर सिंह
इन्दलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत
धनराशि की वापसी की गई थी, सम्बन्धित
सम्परीक्षा मे अप्रस्तुत रही, आगामी
समीक्षा हेतु पत्रावली प्रस्तुत किया जा

5. वाहन सं. UA-08-9900 के लाग बुक में पाई गई
(i) सम्परीक्षा माह मे लाग बुक मे
अधिकारी द्वारा यात्रा सत्यापित नही थी।
(ii) लाग बुक मे पेट्रोल परप द्वारा
भरवाते समय पम्प से सत्यापित (मोहर) ना

(35) (~~[illegible]~~)

डीलक्स बस से की गई यात्रा अनुमन्य नहीं :-

दिनांक 28.6.07 को श्री ललित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को हल्द्वानी से नैनीताल डीलक्स बस द्वारा की गई यात्रा (आना-जाना) हेतु @ 370x2 = 740/- सहित कुल कुल 875/- का भुगतान किया गया था। यात्रा 14.6.07 को प्रारम्भ तथा 16.6.07 को समाप्त दर्शायी गई थी। तथा यात्रा का प्रयोजन इन्दिरा आवासीय योजना से सम्बन्धित पेपर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के यहाँ पहुँचाना दर्शाया गया था। श्री ललित का तत्कालीन मूल वेतन रु० 3200 था तथा शासनादेश सं. -4-395/दस-99-6000/99 दिनांक 1 जून 99 के अनुसार जो यात्रा भत्ता नियमावली से सम्बन्धित है के अनुसार मूल वेतन रु० 4,099/- तक मूल वेतन ~~[illegible]~~ प्राप्तकर्ता बस/लारी की निम्न श्रेणी किराया ही ग्राह्य है। श्री ललित को सामान्य श्रेणी बस किराया ही अनुमन्य था।

सहायक :

ज्येष्ठ :

~~[illegible]~~ [illegible],
[illegible]
[illegible]

7. कम धनराशि की रसीद निर्गत किया जाना
दिनांक 30-6-07 को कु० स्मृति
श्री धनप्रकाश गुप्ता से हीलोक योजना के
एस० आई० जी० - 31 के सम्बन्ध में शमन
तथा पर्यवेक्षण शुल्क रु० 53/- कुल रु० 22...
परन्तु उक्त व्यक्ति के साथ रसीद सं०
दिनांक 30-6-07 मात्र 21869-की ही निर्गत
यद्यपि रोकड़बही में धनराशि 22,816+53
आय में अंकित थी। तथापि कम धनराशि
निर्गत किया जाना आपत्तिजनक है।

महोदय,
त्रुटिवश राशि गलत अंकित कर दी गयी थी जबकि धन... गयी है कोई हानि नहीं हुई है कृपया निरस्त करने की...

8. उपभोग / समायोजन विवरण अप्राप्त :-
203967 तथा 203968 दिनांक 28-7-07 / 31-7-07 को
प्रतीक द्वारा क्रमशः जिलाधिकारी पौड़ी
जिलाधिकारी टिहरी को स्वयंसेवक एवं
क्षेत्रो के विद्युत अनुरक्षण हेतु प्राधिकरण
निधि से भुगतान किया गया था। उक्त
के उपभोग / समायोजन विवरण सम्प्रेक्षा
तक अप्राप्त थी। उपभोग / समायोजन
कर सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

(354)

स्थान: देहरादून
दिनांक: 23/7/09

सहायक निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा
परीक्षा विभाग, देहरादून,

प्रा.

Scanned with CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की ऑडिट आपत्तियों का विवरण

वर्ष	कुल आपत्तियों की संख्या	निस्तारित आपत्तियों की संख्या	अवशेष आपत्तियों की संख्या
1	2	3	4
1986–87 एवं 1987–88	71	71	0
1988–89 एवं 1989–90	72	72	0
1990–91	72	72	0
1991–92	35	35	0
1992–93	39	39	0
1993–94	72	72	0
1994–95	55	55	0
1995–96	26	26	0
1996–97	25	25	0
1997–98	35	35	0
1998–99	42	42	0
1999–2000	30	30	0
2000–01	24	24	0
2001–02	37	37	0
2002–03	41	41	0
2003–04	36	36	0
2004–05	25	25	0
2005–06	24	24	0
2006–07	46	26	20
कुल योग	807	787	20

Scanned with CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की ऑडिट आपत्तियों का विवरण

वर्ष	कुल आपत्तियों की संख्या	निस्तारित आपत्तियों की संख्या	अवशेष आपत्तियों की संख्या
1	2	3	4
1986–87 एवं 1987–88	71	71	0
1988–89 एवं 1989–90	72	72	0
1990–91	72	72	0
1991–92	35	35	0
1992–93	39	39	0
1993–94	72	72	0
1994–95	55	55	0
1995–96	26	26	0
1996–97	25	25	0
1997–98	35	35	0
1998–99	42	42	0
1999–2000	30	30	0
2000–01	24	24	0
2001–02	37	37	0
2002–03	41	41	0
2003–04	36	36	0
2004–05	25	25	0
2005–06	24	24	0
2006–07	46	26	20
कुल योग	807	787	20

हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner